नेशनल फर्टिलाइर्जेस

बनाम

पूरण चंद नागिया

17 अक्टुम्बर 2000

(एम. जगन्नाथ राव और के0 जी0 बालकृष्णन,जे.जे.)

मध्यस्थ:-

कार्य अनुबधं - निविदा की स्वीकृति - अनुबंध मूल्य के 25 प्रतिशत तक भिन्नता के लिए उदधृत दरो की प्रयोज्यता और भिन्नता से परे उच्च बाजार दरें- उच्च दरो के लिए दावा - मध्यस्थ 50 प्रतिशत उच्च दरों का पंचाट दे रहा है- मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार - तथ्यो पर आधारित, मध्यस्थ के निर्णय मे कोई कानूनी त्राृटि नही है।

कार्य अनुबधं- अनुबंध की शर्तो मे परिवर्तन- आयोजित, अनुबंध की शर्तो को विपरीत पक्ष की हानि के लिए एक तरफा रूप से नही बदला जा सकता है।

अपीलकर्ता - कंपनी ने रूपये की राशि के कार्यो के लिए निविदा आंमत्रित की 3,39,88,000 प्रतिवादी ठेकेदार का कोटेशन स्वीकार कर लिया गया और उसे केवल 48 प्रतिशत काम दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा

जारी किये कार्य आदेश मे एक खंड शामिल था जिसमे कहा गया था कि प्रतिवादी की उदधृत दरे अनुबधं मुल्य के प्लस 25 प्रतिशत तक भिन्नता के लिए लागू है। जिसके बाद उच्च बाजार दरे लागू होगी। काम पुरा होने की मूल तिथि चार महीने बढा दी गई थी, प्रतिवादी ने उच्च दरो पर अंतिम बिल पेश किया क्योकि भिन्नताऐं अनुबंध मुल्य के 25 प्रतिशत से उपर हो गई। अपीलकर्ता ने काम पुरा होने मे देरी के लिए प्रतिवादी को दोषी ठहराने के अलावा, बिल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च दरे केवल तभी उचित है जब काम का कुल अनुबंध मूल्य 25 प्रतिशत बढा या घटा हो, न की किसी भी वृद्वि या कमी के कारण। व्यक्तिगत वस्तुओ की मात्रा, इसके अलावा अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से रूपये के मुआवजे के लिए एक प्रतिदावा किया। काम पूरा होने मे देरी होने के कारण 7.64 लाख रूपये चुकाने पडे क्योकि काम पूरा करने के लिए दूसरे ठेकेदार को नियुक्त करना पडा। विवादो को मध्यस्थयता के लिए संदर्भित करने पर , मध्यस्थ ने एक गैर बोलने वाला/नॉन स्पींकिंग निर्णय दिया। मध्यस्थ ने अतिरिक्त दावे का 50 प्रतिशत प्रतिवादी को दे दिया और मुआवजे के लिए अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। अपील पर टायल कोर्ट ने मध्यस्थ के फैसले को इस आधार पर रदद कर दिया कि सन्दर्भ खराब था और वैकिल्पक निष्कर्ष दिये। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए माना कि सन्दर्भ कायम रखने योग्य था और निर्देशित

किया कि इस न्यायालय मे अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थ ने विस्तारित तिथि तक किये गये कार्य के लिए उच्च दरे देेने मे अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया जो जारी किये गये कार्य आदेश के विपरीत था। उच्च दरे केवल तभी लागू होती है जब वृद्वि और कमी के बीच शुद्व अन्तर अनुबंध मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक हो। अनुबधं मूल्य की प्लस 25 प्रतिशत की भिन्नता की सीमा कुल अनुबंध मूल्य पर लागू थी न कि व्यक्तिगत मात्रा या वस्तुओं पर, और यह है कि मध्यस्थ द्वारा अतिरिक्त दावे के 50 प्रतिशत दावे के एक समान दर पर निर्णय देना निविदा के नियमो व शर्तो के विपरीत है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यदि विविधताओ का कुल योग, प्लस और माइनस दोनों , 25 प्रतिशत से अधिक है , तो बाजार दरे लागू होती हैय और विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष के रूप मे पाया है कि कार्य मे जोडे गये और हटाये गये का कुल योग 100 प्रतिशत से अधिक है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 कार्य के प्रश्न मे भिन्नता की अवधारणा कार्य की अनुबधो की एक सामान्य विशेषता है ऐसा इसलिए है क्योकि प्रमुख कार्यो से संबंधित अनुबधों निविधाऐ आमत्रित करते समय काम का अनुमान केवल अनुमानित हो सकता है लेकिन काम की मात्रा से संबधित शर्तो मे बदलाव

करने की नियोक्ता की शक्ति नही हो सकती। अनुबधो के सामान्य कानून के तहत एक बार अनुबध मे प्रवेश करने के बाद कोई भी खंड एक पक्ष को अपनी इच्छा अनुसार अनुबंध की शर्तो को ओवर राईड करने या संशोधित करने या अनुबधं को रदद करने के की पूर्ण शक्ति देता है भले ही विपरीत पक्ष ने उल्लधंन न किया हो। ये अनुबंध कि अखण्डता मे हस्तक्षेप के समान होगा। 35- ई ,36- बी

1.2 भिन्नता खंड को मध्स्थ्य द्वारा उचित तरीके से उस मामले पर लागू होने के रूप मे समझा गया था। जहां परिवर्तन और विलोपन के कुल योग का मूल्य अनुबंध मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक था उस निर्माण को कानून की किसी भी गंभीर त्रुटि से दूषित नही कहा जा सकता। जब कोई ठेकेदार किसी अनुबंध मे बोली लगाता है तो उसे उन कार्यो के लिए उचित दरो की पेशकश करनी होती है जिन्हे निष्पादित करना कठिन होता है और अन्य कार्यो के लिए जिन्हे निष्पादित करना कठिन नही होता है। प्रत्येक ठेकेदार अपनी दरो को सतुलित करने का प्रयास करता है कि नियोक्ता उसके प्रस्ताव को उचित मान सके। उस प्रक्रिया मे ठेकेदार अधिक कठिन और कम लाभदायक वस्तुओ और कम कठिन औार अधिक लाभदायक वस्तुओ के बीच सतुंलन बनाकर लाभ का उचित मार्जिन प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसकी बोली सामान्यत एक पैकेज होती है यदि नियोक्ता को कानून मे उपर से नीचे बदलाव मे अनुमति है भले ही वह उस सीमा

तक हो,जिसके आगे बाजार दरे देह हो जाती है तब तक ठण्ड की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनो पक्षो के अधिकारो को सतुलित करती हो। यदि प्लस और माइनस भिन्नताऐ 25 प्रतिशत से अधिक हो जाती है और कम लाभदायक वस्तुओ को बढाकर अधिक लाभदायक वस्तुओ को कम करने के तरीके से बनाई जाती है और यदि अनुबंध के शुद्व परिणाम को आधार बनाया जाता है तो यह पता चल सकता है। कि ठेकेदार हो सकता समान अनुबधित दरो पर एक महत्वपूर्ण निष्पादित करता है। यदि अपीलकर्ता का तर्क स्वीकार किया जाता है और यदि किसी दिये गये मामले मे लाभहीन वस्तुओं मे मूल्य वर्दी अनुबंध मूल्य का 50 प्रतिशत है और शेष अधिक लाभदायक वस्तुओ की कटोती का मूल्य मोल मूल्य का 50 प्रतिशत है तो यह हो सकता अपीलकर्ता के लिए अभी भी तर्क दिया जा सकता है शुद्व भिन्नता शुन्य है भले ही वह ऐसी स्थिती जहां अनुबंध को संशोधित किया गया था और यह निर्धारित अनुबधं से अलग अनुबंध था इस अनुचित निर्माण से बचा जाना चाहिए और मध्यस्थ से बचना सही था। (37-एच,38-एच-ई)

1.3 कार्य मे कमी या वृ िद्व दोनों का उददेष्य 25 प्रतिशत भिन्नता का पता लगाने के लिए है। और इसकों साथ - साथ एकत्रित होना चाहिए। मध्यस्थ का यह सोचना सही था। कि मामला अपवादो के अन्तर्गत आता है। परिणामस्वरूप मध्यस्थ द्वारा खंड पर दी व्याख्या बिल्कुल विवेकपूर्ण

और बहुत ही विष्वसनीय/ तर्कसंगत है। इसीलिए यह नही कहा जा सकता कि पंचाट अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कानून की किसी त्रुटि के कारण दुषित है।

भारत संघ बनाम मदाली थथैया (1964) 3 एससीआर 61=एआइआर 1966 एससी 1724 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम एच.एफ. इन्सोरेंन्स क. (1965) एससी 1288; एस हरचरण सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया; 1990 4 एससीसी 647; हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रीसिंटी बोर्ड बनाम आर. जे. शाह एण्ड क.; (1999) 4 एससीसी 214; हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्षन कं0 लि0 बनाम स्टेट ऑफ जे0 के0 (1992) 4 एससीसी 217 और के.आर. रविन्द्रनाथन बनाम स्टेट ऑफ केरल (1998) 9 एससीसी 410 ए सन्दर्भित किया।

मदाली थलैया बनाम भारत संघ ए. आई. आर ; 1957 मद्रास. 82 सन्दर्भित किया गया।

नायलर बेन्सन एण्ड क 0 अनाम क्रारिनिषें इन्डस्टीज गेसेल्चेट ; 1918 केबी 331; पार्किसन सर लिडसे एवं क 0 लि0 बनाम कार्य आयुक्त और सार्वजनिक भवन 1949 2 केबी 632 ओर बुष बनाम व्हाईट हेवन टाउन एण्ड हारबर ट्रस्टी; 1998 52 जे0 पी 392 संदर्भित किया गया।

हडसन बिल्डिंग एण्ड इजिनीयरिंग संविदा 8 वाॅ संस्करण पेज 294 से 296; मुल्ला संविदा अधिनियम दसवा संस्करण पेज 371 से 372 और गजारिया का कानून 3 संस्करण पेज 410 से 412 सन्दर्भित किया गया।

2.1 अपीलार्थी मे यह तर्क दिया कि मध्यस्थ ने 50 प्रतिषत समान दर के अतिरिक्त दावो का कानून व तथ्यों के आधार पर स्वीकार्य नही है। मध्यस्थ के बारे मे यह नही कहा जा सकता कि उसने तथ्यों पर अवैध रूप से कार्य किया है क्योकिं उसने ठेकेदार द्वारा दी गई पूर्ण बाजार दर पर मंजूरी नही दी लेकिन दावे का केवल 50 प्रतिषत ही दिया है नान स्पीकीग पंचाट के मामले में, न्यायालय को मध्यस्थ की मानसिक प्रकिया की जाॅच करने की अनुमति नही है। जब उसने अपीलार्थी के पक्ष मे 50 प्रतिषत दावे को खारिज कर दिया इसलिए पंचाट को केवल इस कारण से दूषित नही कहा जा सकता है क्योकि वृद्वि एक समान दर पर थी मध्यस्थ सहमति द्वारा नियुक्त किया गया था और वह रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक थें तथा अपीलार्थी निगम से भी जुडे थे। दावे में 50 प्रतिषत वृद्वि के अधिक निर्णय मे विस्तारित तिथि तक कोई स्पष्ट त्रुटि नही है।

हिन्दूस्तान स्टीलवर्क्स बनाम रामेष्वर राव (1987)4 एससीसी 93 पी0 एम 0 पाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1989) पूरक 1 एससीसी

358 और हिमाचल प्रदेष नगर विकास प्राधिकरण बनाम एम.एस. अग्रवाल और क. एआईआर 1997 एससी 1027, पर विश्वास व्यक्त किया गया ।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय - सिविल अपील सं0 1329/ 1995

मध्यप्रदेष उच्च न्यायालय के सी. एम (प्रथम) ए. संख्या 211/1991 का निर्णय व आदेश दिनांक 18.10.1994 से पारित।

अपीलार्थी की ओर से:- भास्कर पी गुप्ता, पिनाकी एस, सक्सेना व जी. जोषी

प्रत्यर्थीगण की ओर से:- एस. गणेष, विजय कुमार व सुश्री संगीता कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव द्वारा दिया गया।

यह अपील भारतीय मध्यस्थ्यता अधि0 1940 के अन्तर्गत पारित निर्णय से की गई। जो अनुबंध मे एक भिन्नता खंड की व्याख्या से संबंधित है। जो अपीलकर्ता नेशनल फर्टिलाइजेस लि0 को अनुबंध कार्य की सीमा को 25 प्रतिषत तक नीचे व उपर करने के लिए ठेकेदार को निर्देष जारी करने की अनुमति देता है। प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त 25 प्रतिषत पर कार्य में शुद्व समग्र वृद्वि को ध्यान मे रखते हुए जैसे काम में वृद्वि और काम मे कटौती या क्या 25 प्रतिषत की गणना कुल भिन्नताओं को जोडकर की जानी थी। दोनो मे ही काम मे वृद्वि तथा काम मे कमी

शामिल थी इस बिन्दू का महत्व यह है कि भिन्नता संविदा मूल्य के 25 प्रतिषत से अधिक है तो ठेकेदार अनुबंध दरो तक ही सीमित नही है। बल्कि वह बाजार दरो का दावा कर सकता है।

एक बोलने का पुरूस्कार मध्स्थ्य के फैसले को विद्वान जिला न्यायाधीश ने इस आधार पर रदद कर दिया कि सन्दर्भ खराब था। हालाकि उन्होने पुरूस्कार को निष्कर्ष मे स्वीकार करते हुए वैकिल्पक निर्देश दिये। जैसा की विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना कि सन्दर्भ खराब था। उनहोने पुरूस्कार को रदद कर दिया। ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में अपील की जिसने अपने सिविल विविध फैसले मे 1991 की अपील सं. 211 दिनांक 18.10.1994 मे सन्दर्भ को वैध माना और अपील की अनुमति दी। और पंचाट को न्यायालय का नियम बनाने का निर्देश दिया। निर्णय यह है कि अपील स्वीकार की जाती है।

मामले के तथ्य इस प्रकार है अपीलकर्ता द्वारा 3,39,88,000 रूपये की राशि के कार्यो के लिए कोटेशन मगांई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने अपना कोटेशन प्रस्तूत किया था जो 12.09.1984 को खोला गया था। उसका टेडर स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अपीलकर्ता ने उसे पुरा ठेका देने की वजाह 3,39,88,000 रूपये की राशि का 48 प्रतिशत ही दिया। जो 1,52,94,235 पत्र दिनांक 05.11.1984 द्वारा दिया गया। कार्य का भाग प्रथम भाग 94,34,323 और दूसरा भाग 94,34,323 रूपये का

था। इसके बाद दिनंाक 05/06. 11.1984 को इस आशय का पत्र जारी किया गया और फिर 22.01.1985 को एक कार्य आदेश जारी किया गयाा अपीलकर्ता ने उक्त डी पत्र दिनांक 22.01.1985 में प्लस 25 प्रतिशत खं्ाड शामिल था जो अपवाद के रूप मे अनुबध दरो से अधिक दरो का भुगतान करने की अनुमति देता था। जो इस प्रकार बताया गया है।

विवादो को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था तथा मध्यस्थ ने नाम स्पीकीग पंचाट दिया था।

मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट विदवान जिला जज द्वारा इस बिन्दू पर अपास्त कर दिया था लिपिबद्व व्यक्त्वय गलत था किन्तू उसने गुणदोष पर वैकल्पिक निर्णय दिया। जैसा कि विद्वान जिला जज मे निर्णीत किया कि लिपिबद्व व्यक्त्वय गलत था। उसने पंचाट को अपास्त कर दिया।

संविदाकर्ता ठेकेदार द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसके द्वारा अपने निर्णय सिविल विविद अपील संख्या 1995 का 211 दिनंाकित 18.10.1994 मे निर्णीत किया कि पुनरीक्षण सही था और अपील स्वीकार की ओर पंचाट को न्यायालय का नियम बनाने की निर्देष दिया जो उपरोक्त निर्णय के विरूद्व है जिससे यह अपील की गई।

अनुबध मूल्य आपके द्वारा उदधृत मूल्य के आधार पर तय किया गया है ओर आपकी निविदा की दरे और मात्राओं की सलंग्न अनूसूची आपके द्वारा उदधृत दरो 25 प्रतिषत के अन्तर के लिए ठीक होगी तत्पष्चात आपके द्वारा उदधृत दरे आपसी समझौते के आधार पर उपयुक्त रूप से संषोधित होगी।

ऐसा प्रतीत होता है साईट/ कार्यस्थल समय पर उपलब्ध नही कराया गया था तथा पक्षकरो के मध्य बहुत सारे विद्वान थे अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य पत्राचार था अपीलार्थी के कार्यो का उपर तक नीचे दोनो ओर बदला, जैसा कि ठेकेदार के अनुसार, भिन्नताओं का कुल योग संविदा मूल्य के 25 प्रतिषत से अधिक हो गया। ठेकेदार ने अपने पत्रों दिनंाकित 20.11.1986 , 08.12.1986 ओर 09.12.1986 में उच्च दरो के लिए कहा, ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल दिनांक 09.12.1986 को 85,98,705 रूपये का दिया गया जैसा कि अनुलग्नक ए में विस्तार से बताया गया है अतिरिक्त दरो के लिए यह याचिका दिनांक 31.12.1986 को अपीलार्थी द्वारा यह कहते हुऐ खारिज कर दिया गया कि 25 खंड सम्पूर्ण शुद्व वृद्वि पर लागू होती है पत्र मे यह कहा गया।

जब तक कार्य के कुल संविदा मूल्य मे 25 प्रतिषत की वृद्वि मे कमी नही हुई है तब तक कोई वृद्वि उचित नही है।

दरो मे वृद्वि इसीलिये मात्रा मे किसी वृद्वि या कमी के कारण नही है अलग-अलग वस्तुओ का पूरा काम होने पर ही अपेक्षित है ऐसी आषा की जाती है कि 25 प्रतिषत की सीमा तक संविदा मूल्य मे कोई परिवर्तन नही होगा। पत्र में कार्य मे देरी के लिए ठेकेदार को भी दोषी ठहराया गया इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है कि कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि 30.06.1996 तथा जो 30.10.1986 तक बढाई गई थीं। अपीलांट के अनुसार 30.10.1986 तक किये गये कार्य का कुल मूल्य 01,01,84,968.58 था। अपीलार्थी के अनुसार, ठेकेदार ने नवम्बर 1986 मे काम छोड दिया। ठेकेदार के अनुसार, अपीलार्थी ने उल्लंघन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य ठेकेदार को शेष कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था ओर वास्तव में, प्रत्यर्यी के विरूद्व क्षतिपूर्ति के लिए 7.64 लाख रूप्ये की एक क्रॅास दावा लाया गया था।

दिनांक 26.12.1986 को प्रत्यर्यी ने मध्यस्थता के पुनरीक्षण का दावा किया। जिला न्यायालय में श्री धारवाडकर पूर्व महाप्रंबधक उत्तर रेलवे को सहमति से एकल मध्यस्थ नियुक्त किया। यह कहा गया था कि वह अपीलार्थी के साथ भी जुडा हुआ था। उसने 22.01.1988 को सन्दर्भ में प्रवेश किया। मध्यस्थ ने अपने में पंचाट में विस्तारित तिथी तक उच्च दरो

के संबधं में ठेकेदार की याचिका को स्वीकार कर लिया। विवादित दावा संख्या 4 पर उन्होनें अभिनिर्धारित किया।

अतिरिक्त दरो सहित अंतिम बिल का भुगतान

मात्रा मे कमी या वृद्वि के लिये 80,08000 (लगभग) मे दिनांक 17.06.1986 को 70,98,852.67 में संषोधित किया गया

संशोधित राषि का 50 प्रतिषत प्रदान किया गया सन्तुलन मे वृद्वि केवल वास्तविक दर पर दिनांक 30.10.1986 तक ही प्रदत की गई

अन्य शब्दो में, मध्यस्थ में वृद्वि के लिये 70,98,852.67 रूपये का 50 प्रतिषत प्रदान किया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा देरी के लिए क्षतिपूर्ति के प्रतिदांवे (क्रोससूट) का सबंध है। मध्यस्थ ने नकार दिया इसका अर्थ होगा कि ठेकेदार द्वारा उल्लंघन नही किया गया था।

अपीलार्थी ने पंचाट को अपास्त करने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष अपीलदायर की (जहां तक प्रतिदावे की अस्वीकृति की बात है उसकी कोई अपील नही की गई) जिला न्यायालय में जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है पचांर को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि पुनरीक्षण अपने आप मे ही गलत था लेकिन इसने गुणादोष पर वैकल्पिक निष्कर्ष दिये। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंचाट एक तर्क पूर्ण/सकारण पचांट नही था बल्कि यह सभी दस्तावेजो, एन.आई.टी, निविदा पत्रों, प्रस्ताव,

स्वीकृति ओर पत्राचार के आधार पर बनाया गया। था यह माध्यम के मस्तिक को जाॅच करने की अनुमति नही थी। जिला न्यायालय ने मदनलाल बनाम हुकमचंद (1967)1 एससी106य हिन्दूस्तान स्टील वर्क बनाम राजेष्वर राव (1987)4 एससीसी1993य का उल्लेख किया ओर अभिनिर्धारित किया कि पंचाट योग्यता/ गुणागुण के आधार पर अपास्त किये जाने योग्य नही था। जिला न्यायालय ने यह भी पाया (पैरा सं0 38) कि कार्य मे भिन्नताओ का मूल्य, उपर व नीचे की ओर 25 प्रतिषत से अधिक था ओर वास्तव मंे 100 प्रतिषत से अधिक था उन्होने कहा कार्य में वस्तुओं की मात्रा में संषोधन के कारण जो प्रत्यर्थी ने आवेदक को निष्पादन किये जाने की आवष्यकता थी। विचलन अन्तर 100 प्रतिषत से अधिक था 25 प्रतिषत के बारे मे क्या कहना। इसीलिए मध्यस्थ ने दावा कृत राषि का 50 प्रतिषत देने में कोई गलत आचरण/कार्य नही किया है।

यह स्पष्ट किया जाना आवष्यक है कि मध्यस्थ का श्सन्तुलनश् से क्या तात्पर्य है। जैसा कि इस न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रतिदावें मे बताया है ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्वि का 75 प्रतिषत अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया था तथा शेष 25 प्रतिषत का भुगतान इस आधार पर नही किया गया था कि अपीलार्थी धीमा हो गया था। जबकि मामला मध्यस्थ के समक्ष लम्बित था। अपीलार्थी मे एक अंतिम बिल तैयार किया ओर शेष 25 प्रतिषत राषि भी दिनांक 30.11.1985 तक स्वीकृत की गई। दिनंाक

30.10.1986 तक शेष सन्तुलन वृद्वि की स्वीकृति इस आधार पर नही दी गई कि देरी ठेकेदार के कारण हुई थी यह वही सन्तुलन था जो कि मध्यस्थ द्वारा 50 प्रतिषत तक स्वीकृति किया गया। (इन तथ्यो को अपीलार्थी से जो दिंनाक 18.03.1998 मध्यस्थ के समक्ष फाइल किया गया, से स्पष्ट किया जाता है)

उच्च न्यायालय द्वारा जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है ने अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षण पोषणीय था ओर यह विद्वान जिला न्यायाधीष के निर्णय को अपास्त कर देता है। निर्देषित किया गया कि पचंाट को न्यायालय का नियम बनाया जावें।

इस अपील मे अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पी0 भास्कर गुप्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मध्यस्थ ने विस्तारित तिथि 30.10.1986 तक किये गये कार्य के लिये अतिरिक्त राषि या उच्च दरे प्रदान करने में बिना क्षेत्राधिकार के कार्य किया। इस बात को एन.आईटी.के कई खंडो, विषेष व सामान्य शर्तो तथा कार्य आदेष ,अनुलग्न आर में जो दिनंाक 22.01.1985 के तहत था के द्वारा प्रतिबंधित किया था संविदा मूल्य कीं ं25 प्रतिषत भिन्नता सीमा किसी व्यक्गित मात्रा या वस्तुओ पर लागु नही होकर कुल अनुबंध मूल्य पर लागू होती थी।

वास्तविक निष्पादन व संविदा योजना के पूरा होने पर कुल संविदा मूल्य में 25 प्रतिषत से अधिक की वृद्वि या कमी के बाद ही दरो में पुनरीक्षण की अनुमति होगी। किसी भी दषा मे, मध्यस्थ सभी वस्तुओं के लिये 50 प्रतिषत की समान वृद्वि की अनुमति नही दे सकता था।

इसके विपरीत ,प्रत्यर्थी ठेकेदार के विद्वान अधि0 श्री एस0 गणेष मे तर्क दिया कि प्रष्न केवलकुल संविदा मूल्य मे वृद्वि या कमी का नही था यदि भिन्नताओं का कुल योग अर्थात जमा या घटा दोनों 25 प्रतिषत से अधिक हो जाता है। तो संविदा दरे बादय नही थी बाजार दरें का ही भुगतान करना पडता थां विद्वान जिला न्यायाधीष ने एक तथ्य के रूप मे पाया कि कार्य में परिवर्धन तथा विलोपन का योग 100 प्रतिषत से अधिक था इस सबंधं मे एक सारणीबद्व बयान भी हमारे समक्ष यह दिखाने के लिए फाइल किया गया कि कार्य मे नीचे ओर उपर की कुल भिन्नता संविदा मूल्य के 25 प्रतिषत से अधिक मूल्य की थी तथा वास्तव मे यह 100 प्रतिषत से अधिक थी।

उपरोक्त तर्को पर, निम्नांकित बिन्दु विचार के लिए उत्पन्न होते है।

1 क्या एन.आई.टी. के विभिन्न खंडो, विषेष व सामान्य शर्तो, अनूसूचियॉ और अनुलग्न आर को ध्यान में रखे बिना मध्यस्थ ने बिना

क्षेत्राधिकार दरो को संषोधित करने ओर संविदा दरो की अनदेखी कर जो संविदा के विस्तार की दिनांक तक श्दृढश्ं थी कार्य किया।

2 क्या मामला संविदा मूल्य में 25 प्रतिषत की वृद्वि के अपवाद के अन्तर्गत आता है। यदि ऐसा है तो उस खंड का क्या अर्थ था? क्या इसका अर्थ संविदा मूल्य में सम्रग शुद्व वृद्वि, कार्य की अतिरिक्त वस्तुआंे के मूल्य से कार्य मे कमी की कटौती से है (जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा तर्क दिया है या क्या इसका अर्थ कि जमा या घटा की भिन्नताओं को एक साथ जोडा जाना था (जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा तर्क दिया ह) यह पता लगाने के लिए कि क्या वे संविदा मूल्य के 25 प्रतिषत से अधिक थे?

3 क्या मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी द्वारा दावा की गई वृद्वि में से 50 प्रतिषत राषि प्रदान करने मे गलती की थी।

बिन्दु संख्या एक और दोः-

यह सही है कि एन.आई.टी, निविदा, प्रपत्र और विषेष व सामान्य शर्तो में विभिन्न शर्ते है कि कोई अतिरिक्त राषि व उच्च देर किसी भी परिस्थिती में स्वीकृति/ प्रदान नही की जावेगी। इन पर अपीलार्थी द्वारा दृढतापूर्वक विष्वास व्यक्त किया है। हम उनका उल्लेख करेगें।

निविदा आमत्रित करने की सूचना एन0आई0टी दिनांकित 24.7.1984 है। निविंदाकर्ता को दिये गये निर्देशानुसार 4 लिफाफे जमा कराने होते है प्रथम लिफाफा बयाना राशि जमा कराने से संबधित, दूसरे लिफाफे मे निविदाकर्ता की शर्ते होगी तथा तीसरे लिफाफे मे निविदाकर्ता के दस्तावेज होगे। लिफाफा 1 से 3 के खोलें जाने के बाद ओर चर्चा समाप्त होने के बाद लिफाफा संख्या चार खोला गया। जिसमे परिणामी सशोंधन से सबंधित दस्तावेज थे। निविदा प्रपत्र मे ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित एक वचन पत्र था कि उसमे एन.आई टी., निर्देशो और विशेष शर्तो, विशेष विनिर्देशो और अनुंबध अनूसूची ए,बी और ई की सामान्य शर्तो व चित्रो को देखा था अनूसूची ए मे अपीलार्थी द्वारा निर्धारित कार्य की दरे और अनूसूची ई में समय की शर्ते शामिल थी जिसका उल्लेख पैरा 6.11 मे किया गया है जो विचलन व भिन्नताए निम्न प्रकार है।

पैरा सं. 11 विचलन/ भिन्नता की संविदा मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा

इसका अर्थ था कि अपीलार्थी के अधिकारी उपरोक्त भिन्नताओं तक काम सौंप सकते थे। और ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान या उच्चदर दर पर इसे निष्पादित करना होगा।

विशेष शर्तो मे यह बात पैरा सं. 1.4 मे कही गई थी। कि उदधृत की गई दरे संविदा के लम्बित रहने के दौरान स्थिर रहेगी। जिसमे विस्तारित अवधि भी शामिल है और किसी भी प्रकार की वृद्वि के अधीन नही होगी। भले ही श्रमलागत, सामग्री या पेटोलियम तेल और स्नेहक की कीमतो मे वृद्वि हुई हो। दरे निविदाकार द्वारा अनुमानित बिलो की मात्रा के लिये उदधृत की जानी थी। पैरा स. 4 के अतिरिक्त कार्यो से संबधित है और बताता है कि यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार को अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक कार्य का निष्पादन करना था इस सीमा तक आदेशित अतिरिक्त कार्य आदेश के लिये दरो के बारे में कोई समायोजन नही किया जायेगा।

संविदा की शर्ते व नियम अपरिवर्तित रहेगी।

संविदा मूल्य खंड 3 ई का अर्थ

कार्य की कुल मात्राए 20 प्रतिशत तक परिवर्तित की जा सकेगी बाद के 25 प्रतिशत तक संशोधित दूसरी तरफ इस खाते के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नही किया जायेगा। ऐसे मे सवाल यह है कि इस खंड का अर्थ क्या है जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है मध्यस्थ ने अतिरिक्त दरो का 50 प्रतिशत स्पष्ट रूप से इस आधार पर दिया कि मामला उपरोक्त अपवाद के अन्तर्गत आता है। जिला न्यायालय ने पाया कि कुल भिन्नताए जमा और घटा दोनो में 100 प्रतिशत से अधिक है।

अपीलार्थी का यह तर्क है कि उपरोक्त अपवाद केवल वृद्वि व कमी के बीच के शुद्व अन्तर पर लागू होता है। और यह संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक पर काम करता है तब दरो का संशोधित किया जा सकता है उदाहरण के लिए संविदा मूल्य 50 लाख रूपये है तो वृद्वि 15 लाख रू मूल्य की है और कमी 10 लाख रूपये की है अपीलकर्ता के अनुसार कुल संविदा मूल्य में शुद्व अन्तर केवल 5 लाख रूपये है जो 50 लाख रूपये का 10 प्रतिशत है तो दरो मे कोई वृद्वि नही हो सकती है।

इसके विपरीत/दूसरी ओर प्रत्यर्थी ने तर्क दिया किसी को प्लस और माइनस की कुल भिन्नताओं को जोडना होगा इसीलिए उपरोक्त उदाहरण मे कुल भिन्नता का मूल्य प्लस और माइनस में 5 लाख रूपये है जो संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक होता है और बढी हुई दरे लागू होगी।

हमारी राय मे प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.गणेश द्वारा इस वृद्वि खंड पर लगाई गई बात उचित है इस आधार पर यह मामला अपवादो के अन्तर्गत आयेगा और मध्यस्थ की ओर से अधिकार क्षेत्र के कोई त्रृटि नही हुई है

यह बिन्दू संविदा की अखंडता से संबधित कुछ महत्वपूर्ण मुददो को उठाता है कार्य के प्रश्न की भिन्नता की अवधारणा निसंदेह कार्य अनुबधों

की एक सामान्य विशेषता है ऐसा इसीलिए हो क्योकि प्रमुख कार्यो से संबधित संविदाओं में, निविदायें आमत्रित किये जाने के समय कार्य का अनुमान केवल अनुमानित हो सकता है। लेकिन यह भी महसूस किया गया कि काम की मात्रा सें संबधित शर्तो में बदलाव करने की नियोक्ता की शक्ति असीमित नही हो सकती। हडसन के भवन इजीनियरिंग अनुबधों मे यह बताया गया है कि यह शक्ति यघपि असीमित है वास्तव में एक निश्चित मूल्य तक अतिरिक्त आदेश करने तक सीमित है। न्यायमूर्ति - मकार्डी इन नायलोर बेन्सन एडं कं0 बनाम कारिनीशे इन्डस्टीज गेसेलसाफल (1918) के.बी 331 ने कहा कि श्शब्द भले ही सामान्य हो, लेकिन पक्षो के विचार के भीतर परिस्थितियों तक सीमित होने चाहिएश् पार्किसन (सर लिन्डसे) एण्ड क0 लिमिटेड बनाम कार्य और सार्वजनिक भवनों के आयुक्त (1949) 2 के.बी 632 एस्क्विवत एल.जे.ने (पेज 682) मे कहा है कि नियोमा को अतिरिक्त काम जोडने मे समक्ष करने वाले शब्द, हालांकि व्यापक है सीमित होने चाहिए अन्यथा यह एक पक्ष रखने के समान होगा तो पूरी तरह से दूसरे को मात्रा पर सिंगलटन एल जे ने कहा (पृष्ठ 673) कि काम को मात्रा मे भिन्नता के लिये नियोक्ता को बेलगाम शक्ति प्रदान करने से श्जैसा कि मैथ्यू ने कहा है।श् बेतुकापन व अन्यथा प्रकट होगा बुरश बनाम व्हाईट हेवल टाउन एण्ड हार्बर ट्रस्टीज (1) में जे. (1888) 52 जे.पी 392

हम यह भी कह सकते है संविदा के सामान्य कानून के अन्तर्गत एक बार अनुबंध मे प्रवेश करने के बाद,कोई भी खंड एक पक्ष को अपनी ईच्छानूसार संविदा की शर्तो को ओवर राइड करने या संशोधित करने या संविदा को रदद करने की पूर्ण शक्ति देता है भले ही विपरित पक्ष का उल्लंधन न हो। यह संविदा की अंखडता में हस्तक्षेप करने के समान होगा (प्रति राजमन्नार सीज)े मथाली थाथैया बनाम यूनियन आयु इण्डिया ए.आई आर. 1957 मद्रास 82 इस न्यायालय मे अपील करने मे, उस मामले मे भारत संध बनाम मथाली थथैया 1964 एस. सी. आर 61त्र। ण्प्ण्त् 1966 एससी 1724 में निष्कर्ष अन्य आधारो पर रखा गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर सैन्टल बैक ऑफ इण्डिया एच. एफ. इन्सो क0 ए आई 1965 एससी 1288 में फिर से विचार किया था। लेकिन राजमन्नार सीजे द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त इससे भिन्न नही था। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार मुल्ला संविदा अधिनियम संस्करण 10 पी.पी 371-372 मे इस पहलू पर चर्चा देखे। इस प्रकार एक अच्छा कारण है कि आधुनिक कार्य संविदा में प्लस और माइनस दोनो मे परिवर्तन की इस शक्ति पर 20 प्रतिशत (अब 25 प्रतिशत)तक की सीमा लगा दी गई है (भारत में भवन और इंजीनियरिंग अनुबधों से संबधित गजरिया कानून देखे।

3 सस्करण पीपी 410-412) 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत तक की ऐसी सीमा अब सी पी डब्लूडी अनुबधों की मानक शर्तो के खंड 12 ए के तहत लगाई गई है

इस अदालत को तीन न्यायधीशो की पीठ द्वारा एस हरचरण सिंह बनाम भारत संघ (1990) एस. सी. सी 647 मामले मे इन पहलुओ पर विस्तृत चर्चा की गई थी। वह निर्णय सिद्वान्त ओर तथ्य दोनो ही आधार पर वर्तमान मामले के लिए बहुत प्रासंगिक है। एस सी अग्रवाल जे.ने. न्यायालय की ओर से बोलते हुऐ कहा कि मध्यस्थ 20 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के लिए सी.पी डब्लयुडी अनुबधों के खंड 12 ए के अनुरूप उच्च दरे प्रदान कर सकता है अनुबंध दर 129 रूपये प्रति हजार सी.एफ.टी जमा 2 प्रतिशत थी। परन्तु ठेकेदार ने 20 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त के संबधं मे 200 रूपये प्रति धन फीट का दावा किया। मध्यस्थ ने दावा की गई वृद्वि के हिस्से को बरकरार रखा और इस न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा।

सी.पी डब्लूडी अनुबंध का खण्ड 12 ए जो 20 प्रतिशत तक परिवर्तन की अनुमति देता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड बनाम आर जे शाह एण्ड कम्पनी मे फिर से विचार के लिए आया है उक्त मामले मे मध्यस्थ ने विवाद 1,2 और 4 पर गैर बोलने वाला निर्णय दिया। विवाद 1 दरो के संशोधन से संबधित है विवाद 2 यह था कि क्या विचलन

सीमा से प्रयोजन के लिए मात्राओं पर विचार किया जाना चाहिए खंड 3 (2)(ई) (पप) के तहत 20 प्रतिशत तक का विचनल बिना किसी अतिरिक्त के पूरा किया जा सकता था विभाग का तर्क यह कि अनुबंध एक वस्तु दर अनुबधं ओर केवल वे आइटम जो विचलन सीमा को पार कर गये थे। उन्हे संशोधित दरो पर भुगतान किया जाना था विचलन सीमा से अधिक कार्य के लिये दर केवल खंड 12ए के अनुसार तय की जानी थी बोर्ड की और से यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया और केवल इसीलिए वस्तुओ की दरो को संशोधित नही किया जा सकता था क्योकि अनुबंध का समग्र मूल्य जो निष्पादित किया गया था वह 20 प्रतिशत से अधिक था। दूसरी और ठेकेदार के लिए यह तर्क दिया गया था कि सशोधित दरो के दावे को विशेष रूप से मध्यस्थ को सन्दर्भित किया गया माना जाना चाहिए मध्यस्थता खंड व्यापक है और मघ्यस्थ द्वारा 20 प्रतिशत खंड पर लगाये गये निर्माण को किसी भी त्रुटि से दूषित नही माना जा सकता है हिन्दूस्तान कन्सटशन कम्पनी सहित अनुंबध की शर्तो की व्याख्या करने के लिये मध्यस्थ की शक्ति से संबधित कई निर्णयों का जिक्र करने के बाद जस्टिस किरपाल ने हिन्दूस्तान कन्स्टंशसन लिमिटेड बनाम जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य (1992) 4 एस.सी.सी 217 और रविन्द्रनाथ बनाम केरल राज्य (1988) 9 एस.सी.सी 410 मे माना गया

कि मध्यस्थ द्वारा अनुबंध दर से अधिक दर पर अनुदान को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नही माना जा सकता है।

ऐसा देखा गया

ठेकेदार द्वारा अनुबधं पर रखा गया निर्माण अविश्वसनीय नही कहा जा सकता है भले ही मध्यस्थयो ने अनुबधं की शर्तो पर गलत तरीके से विचार किया हो यह नही कहा जा सकता कि पंचाट अधिकार क्षेत्र से बाहर था ।

हालांकि अपीलकर्ता की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि संशोधित दरो की अनूमति देने वाले खण्ड के गलत निर्माण के कारण जैसा कि अनुबंध आर मे बताया गया है मध्यस्थ उस अधिकार क्षेत्र मे नही था तो फिर सवाल यह है कि क्या मध्यस्थ ने धारा के अनुचित निर्माण के साथ साथ वृद्वि के प्रयोजको के लिये 25 प्रतिशत तक अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नही किया है।

हमारा विचार है कि उपयुकर््त खंड प्लस और माइनस 25 प्रतिशत को मध्यस्थ द्वारा उचित तरीके से समझा गया था यह उस मामले पर लागू होता है जहां परिवर्धन ओर विलोपन की कुल राशि का मूल्य अनुबधं् से 25 प्रतिशत से अधिक हो गया है। हमारे विचार मे उस निर्माण को

कानून की किसी गंभीर त्रृटि से प्रेरित नही कहा जा सकता हमारे निम्नालिखित कारण है।

- जब कोई ठेकेदार किसी अनुबध्ं मे दोषी लगाता है तो उसे उन कार्यो के लिये उचित दरो की पेशकश करनी होती है जिन्हे करना मुश्किल होता है। प्रत्येक ठेकेदार अपनी दरो को इस प्रकार संतुलित करने का प्रयास करता है कि नियोक्ता उसके प्रस्ताव को उचित मान सके। इस प्रक्रिया को ठेकेदार अधिक कठिन (और कम लाभदायक वस्तुओं) ओर कम कठिन (अधिक लाभदायक वस्तूओं) को सतंूलित करके लाभ उचित मार्जिन प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसकी बोली सामान्यता एक पैकेज होती हे यदि नियोक्ता को कानून मे उपर और नीचे की ओर बदलाव करने की अनुमति है भले ही यह उस सीमा तक हो जिसके बाद बाजार दरें देय हो जाती है तो खंड की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनो पक्षो के अधिकारों को सतुलित करती हो। उदाहरण के लिये यदि प्लस और माइनस भिन्नताए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाती है और जो कम लाभदायक वस्तूओं को बढाने और अधिक लाभदायक वस्तुओ को कम करने के तरीके से बनाई जाती हे ओर यदि संविदा का शुद्व परिणाम यह आधार है जैसा कि तर्क दिया गया है तो अपीलकर्ता यह कार्य कर सकता है कि ठेकेदार को उसी अनुंबधित दरो पर एक नया अनुबध्ं करने के लिये बनाया जा सकता है वास्तव में यदि अपीलकर्ता के तक्र्र को स्वीकार कर लिया जाये और यदि

किसी दिये गये मामले में लाभहीन वस्तूओं मे वृद्वि का मूल्य संविदा मूल्य का 50 प्रतिशत है। शेष अधिक लाभदायक वस्तुओ की कटौती का मूल्य 50 प्रतिशत है। संविदा मूल्य के मामले मे अपीलकर्ता के लिये अभी भी यह तर्क दिया जा सकता है कि शुद्व भिन्न्ता भी शुन्य थी भले ही वह ऐसी स्थिती थी जहा संविदा से लगाया अलग संविदा था। इस तरह के अनुचित निर्माण से बचना चाहिए और मध्यस्थ द्वारा इसे सही तरीके से टाला जाये।

हमारी राय मे कार्य में वृद्वि और कमी दोनो ही प्लस और माइनस 25 प्रतिशत भिन्नता का पता लगाने के उददेश्य से स्वतंत्र है तथा उन्हे एक साथ एकत्रित करना होगा। मध्यस्थ का यह सोचना सही था कि मामला अपवाद के अन्तर्गत आता है। जाहिर है कि उन्होने महसूस किया होगा कि प्लस और माइनस भिन्नतांए 25 प्रतिशत से अधिक है तथा संविदा दरे अब बादय कारी नही है उनके द्वारा खंढ का निर्माण तर्क संगत एंव न्याय संगत प्रतीत होता है तथ इसे अनुचित नही कहा जा सकता।

परिणाम स्वरूप मध्यस्थ द्वारा खंड पर की गई व्याख्या हमे काफी उचित और बहुत प्रंशासनीय प्रतीत होती है तथा इसीलिए यह नही कहा जा सकता है कि पचंाट उसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कानून

की किसी भी त्रुटि से दूषित है वास्तव में विद्वान जिला न्यायाधीश ने पाया कि कुल भिन्नता दोनो उपर और दोनो ओर संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक थी उपरोक्त कारणो से हमारा विचार है कि बिन्दू सं. 1 व 2 का उत्तर प्रत्यर्थी ठेकेदार के पक्ष मे दिया जाना चाहिये।

यह इस सवाल से सबंधित है कि मघ्यस्थ अतिरिक्त दावे के 50 प्रतिशत की एक समान दर पर या बाजार कीमतो और अनुबधं्ा दरो के बीच के अन्तर के 50 प्रतिशत पर निर्णय दे सकता था। तथ्य ओर विधि दोनो आधार पर अपीलकर्ता का मामला स्वीकार नही किया जा सकता।

रिकार्ड पर ऐसी साम्रगी है कि अपीलकर्ता मे मध्यस्थता कार्यवाही के लंम्बित रहने के दौरान इस बात पर गंम्भीरता से विवाद नही किया था कि बाजार दरें देय थी। क्योकि प्लस और माइनस भिन्नताए अनुबंध मूल्य के प्लस और माइनस 25 प्रतिशत से अधिक थी जैसा कि इस न्यायालय मे दायर प्रत्यर्थी के जवाब मे बताया गया है अपीलकर्ता ने मध्यस्थ मे समक्ष दायर एक प्रश्न के उत्तर में दिनांक 18.03.1988 को स्वीकार किया था कि संशोधित दरो का 75 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य का भुगतान किया गया था हालाकि विस्तारित तिथी तक नही। अब मध्यस्थ द्वारा पंचाट संतूलन के लिये था और 30.10.1986 तक। यह भी एक संकेत है कि तथ्यों के आधार पर मध्यस्थ द्वारा प्लस और माइनस 25 प्रतिशत खंड का निर्माण सही था।

मध्यस्थ के समीप प्रत्यर्थी के दावे पर अपीलकर्ता के बचाव मे बाजार दरो पर ठेकेदार के अधिकार का कोई विशेष खंडन नही किया गया था। अपीलकर्ता अपनी सामान्य दलील पर अधिक भरोसा कर रहा था कि प्लस और माइनस 25 प्रतिशत खंड सम्पूर्ण संविदा मूल्य के रूप में बिल्कुल भी आकर्षित नही होता था या शुद्व वृद्वि को ध्यान मे रखा जाना था। वास्तव में उची दरो पर भुगतान के लिये विभागीय अधिकारीयों की अनूकुल अनुशंसाए थी। एस0 हरचरण सिंह के मामले मे, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके है अधिकारियों की ऐसी ही सिफारीशे थी इसीलिए यह नही जा सकता कि मध्यस्थ के तथ्यों पर अवैध रूप से कार्य किया है क्योकि उसने वास्तव मे ठेकेदार द्वारा दावाकृत पूर्ण बाजार दर पर अनुदान नही दिया है। बल्कि दोष के केवल 50 प्रतिशत पर ही अनुदान दिया है।

कानून मे भी अपीलकर्ता के पास कोई मामला नही है नाॅन स्पीकींग पंचाट के मामले मे न्यायालय के लिये मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जांच करने की अनुमति नही है। {देखें हिन्दूस्तान स्टील वईस बनाम राजेश्वर राव 1987 4 एससीसी 93} जब उसने 50 प्रतिशत दावे को अपीलकर्ता के पक्ष में खारिज कर दिया था और ठेकेदार के पक्ष में 50 प्रतिशत का दावा स्वीकार कर लिया। नॉन स्पीकिंग पंचाट के दो निर्णीत मामलो मे जब मध्यस्थ द्वारा अतिरिक्त कार्य की अनुमेय वस्तुओं के

लिये 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत की एक समान वृद्वि दी गई थी तो इस न्यायालय ने इसे अवैध नही माना {देखें पी. पाल बनाम भारतसंघ 1989 सप्ली.1 एससीसी 368 और हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण बनाम मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी एआईआर 1997 एससी 1027} इसीलिए केवल की वृद्वि एक समान दर पर थी, हम पंचाट मे गलती नही ढूंढ सकते मध्यस्थ की नियुक्ति सहमति से की गई थी और वह रेलवे मै एक पुर्व महाप्रंबन्धक थे और अपीलकर्ता निगम से भी जुडे थे। इसीलिये हम दावा कर पचांट मे 50 प्रतिशत के अधीनिर्णय मे कोई स्पष्ट त्रुटि/गलती नही पाते है और न ही विस्तारित अवधि दिनांक 30.11.1986 के दावे मे स्पष्ट त्रुटि पाते है।

उपरोक्त कारणो से अपील खारिज की जाती है इस न्यायालय पारित अन्तरिम आदेश रिक्त/समाप्त किया जाता है। कोई खर्चा नही।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गोपाल सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा|